

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा
वैकल्पिक भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रपोजल सं. FP/RJ/WATER/36565/ 2018 प्रकरण 2.0467 है.— Balance work of cluster scheme of 315 villages of Mandalgarh, Bijoliya and Jahajpur Tehsils along with Augmentation of UWSS of mandalgarh and Bijoliya Towns from Aroli Head works under Chambal-Bhilwara water supply project phase-II package -VIII of District Bhilwara (Raj.)

प्रमाणित किया जाता है कि जिले मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर, भीलवाडा के पत्रांक 1335 दिनांक 22.9.2015 से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित किया गया है। ग्राम राजपुरा , ग्राम पंचायत तिलोली , तहसील आसीन्द (जिला भीलवाडा) मे खसरा नं. 763,774,875, एवं 912 की विशेष प्रयोजनार्थ चिन्हित भूमि 69.36 हैक्टर भूमि एक चक है जो वृक्षारोपण एवं प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है। इस समतल भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह भूमि सभी प्रकार के दायित्वों से पूर्णतया: मुक्त है। इस भूमि में से वर्तमान में भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।


(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा